न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 145 / 2021 **दायरा दिनांक : 14.09.2021**

उनवान

1— प्रेमनारायण आयु 58 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल, जाति लोधी,

2— मोहन प्रसाद आयु 53 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल, जाति लोधी,

निवासीगण दुर्जनपुरा पंचायत बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— चंपालाल आयु 73 वर्ष पुत्र रतनलाल, जाति लोधी, निवासी दुर्जनपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज नाहरगढ़, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संजय नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं.1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.11.2022**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

[illegible] बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 000358/2018 निर्णय व डिकी दिनांक 19.04.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश कर कथन किया कि ग्राम लकडाई पटवार हल्का सिमलोद, तहसील किशनगंज में खसरा नम्बर 39/8 रकबा 15 बीघा पर खसरा नम्बर 39/6 व खसरा नम्बर 39/7 एवं खसरा नम्बर 40 वन विभाग की भूमि के मध्य मेड पर होकर पूर्व में रास्ते से सम्बन्धित विवाद तहसीलदार किशनगंज ने मिसल नं. 1/2016 दिनांक 29.06.2016 को दोनों पक्ष प्रार्थी व अप्रार्थी को सुनकर राजस्व केम्प में राजस्व प्रभारी अधिकारी के समक्ष हल्का पटवारी सिमलोद, कानूनगो व सरपंच ग्राम पंचायत बादीपुरा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रचलित रास्ता कायम कर निर्णय पारित किया है, जिसकी अपील प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद के यहां प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय 30.07.2016 को किया जा चुका है जिसकी प्रार्थीगण द्वारा एक निगरानी सं. टीए/1667/2018/बारां पेश की थी, जिस पर भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर निर्णय पारित कि प्रार्थी की निगरानी खारिज कर दोनों विचारण न्यायालयों के निर्णय बहाल रखे हैं फिर भी प्रार्थीगण ने यह वाद पुनःवर्ती पेश किया है जो आदेश 7 नियम 11 के तहत वर्जित है क्योंकि दोनों में पीड़ित पक्षकार एक ही है और वाद बिन्दु भी समान हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी अधिवक्ता कम 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया और वाद वादी खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचारधीन वाद में रेस्पोडेंट प्रतिवादी नं. 1 चम्पालाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. स्वीकार कर वाद को निरस्त करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में विवादित आराजी खसरा नम्बर 39/6, 39/7 कुल रकबा 15 बीघा जो अपीलांटगण के खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उसके लगवा वन भूमि खसरा नं. 40 रकबा 8 बीघा है, जो रेस्पोडेंट कम 2 के खाते की वन भूमि है के मध्य आम रास्ता कायम नहीं किये जाने बाबत विवाद था जिसे बाद सुनवाई, जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं तनकी कायम कर गवाह सबूत प्रस्तुत होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई वाद खारिज किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य तहसीलदार, किशनगंज द्वारा मिसल नं. 1/2016 निर्णय दिनांक 29.06.2016 में वन भूमि एवं अपीलांटगण के खाते की भूमि के मध्य रास्ता कायम किये जाने का दिया गया आदेश खिलाफ कानूनन, बिना वन विभाग को पक्षकार बनाये पारित किया गया था। इस कारण इस प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर. टी. ए. के अन्तर्गत दिये गये आदेश के प्रावधान इस वाद में लागू नहीं होने से उक्त वाद को निरस्त करने में त्रुटि की है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर. टी. ए. में वर्णित तहसीलदार किशनगंज के आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद निर्णय दिनांक 30.07.2016 एवं

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ भू-प्रबन्ध

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पारित निर्णय को आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये निर्णय एवं प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर टी. ए. में भिन्नता होते हुए भी आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानों के लागू नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह काश्तकारी कानूनों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.04.2021 प्रकरण संख्या 00358/2018 निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2021 की जानकारी कोरोना काल के कारण समय पर नहीं होने तथा नकल निर्णय एवं डिक्री विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज जिला बारां के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खारिज किये जाने पर पेश की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– प्रेमनारायण आयु 58 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल, जाति लोधी,
2– मोहन प्रसाद आयु 53 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल, जाति लोधी,
निवासीगण दुर्जनपुरा पंचायत बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– चंपालाल आयु 73 वर्ष पुत्र रतनलाल, जाति लोधी, निवासी दुर्जनपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2– क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज नाहरगढ, जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 145/2021 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज
मु.द.नं0 000358/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक – 19.04.2021

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 10 सन् 2022

हाजरी **श्री घनश्याम गर्ग** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री संजय नागर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.04.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 09 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

9/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★